बिहार सरकार
अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

प्री मैट्रिक छात्रवृति योजना 2014–15 (नवीन एंव नवीकरण)
केवल छात्रों से छात्रवृति हेतु आवेदन पत्र आमंत्रण की सूचना

राज्य के सरकारी अथवा मान्यता प्राप्त विद्यालयों में पढने वाले अल्पसंख्यक (मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध एंव पारसी) समुदाय के कक्षा 1 से 10 तक के केवल छात्र से वर्ष 2014–15 की छात्रवृति के लिए विहित प्रपत्र में आवेदन आमंत्रित किया जाता है। वैसे छात्र जिनका शैक्षणिक सत्र जनवरी 2014 से प्रारंभ है उनका आवेदन जमा करने की तिथि 15 जून 2014 निर्धारित है तथा वैसे छात्र जिनका शैक्षणिक सत्र अप्रैल 2014 से प्रारंभ हुआ है उनके आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 31 अगस्त 2014 तक निर्धारित है । बिहार में अध्यनरत छात्र अपना आवेदन अपने शिक्षण संस्थान से अग्रसारित करा कर उस जिला के जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी के कार्यालय में निबंधित डाक अथवा हाथों–हाथ जमा करेंगे। जिस जिला में उनका शिक्षण संस्थान अवस्थित है, परन्तु बिहार से बाहर अध्यनरत छात्र अपना आवेदन अपने गृह जिला के जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी के कार्यालय में निबंधित डाक अथवा हाथों–हाथ जमा करेंगे ।

अर्हताऐं

1 गत परीक्षा में 50 प्रतिशत से कम प्राप्तांक न हो (वर्ग 1 को छोड़कर)
2 विद्यार्थी द्वारा कोई दूसरी छात्रवृति नहीं ली गई हो ।
3 माता–पिता/अभिभावक के सभी श्रोतों से वार्षिक आय एक लाख रूपये से अधिक न हो ।
4 चयन करने में अधिभार गरीबी को दी जायगी प्राप्तांक को नही ।
5 एक परिवार के दो से अधिक बच्चों को यह छात्रवृत्ति नहीं दी जायेगी।
6 निर्वहन भत्ता विद्यार्थी के खाते में हस्तांतरित किया जायेगा ।
7 वैसे छात्र जो एक से अधिक आवेदन–पत्र जमा करेगें, वैसे सभी आवेदन–पत्र रदद कर दिए जाएगें।
8 Overwriting अथवा कटे–छटे आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होंगा।
9 पूर्व में प्रकाशित आवेदन –पत्र का प्रपत्र मान्य नही होगा।
10 आवेदन पत्र का विहित प्रपत्र वेबसाइट biharshiawakfboard.com से डाउन लोड का अथवा विहित प्रपत्र की फोटो करा कर उपयोग में लाया जा सकता है।

छात्रवृति की दरें

1 छात्रवृति एक वर्ष के लिए स्वीकृत की जायेगी ।
2 कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थी को 1,000/ रूपये वार्षिक देय होगा ।
3 कक्षा 6 से 10 तक के विद्यार्थी को नामांकन शुल्क 500/– रूपये या वास्तविक तथा शिक्षण शुल्क अधिकतम 350/– रूपये मासिक या वास्तविक एंव निर्वहन भत्ता होस्टलरों के लिए अधिकतम 6,000/– वार्षिक या वास्तविक तथा डे स्कालर के लिए 1,000/– रूपये वार्षिक देय होगा ।

आवेदन पत्र के प्रपत्र की उपलब्धता

आवेदन पत्र शिया वक्फ बोर्ड के वेबसाइट www.biharshiawakfboard.com से डाउन लोड कर उपयोग में लाया जा सकता है या जिलों में उप विकास आयुक्त की अध्यक्षता में गठित अल्पसंख्यक कोषांग से प्राप्त किया जा सकता है या फोटो कापी कराया जा सकता है।

आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये जाने वाले **दस्तावेज/प्रमाण पत्र** ।

1 गत परीक्षा के प्राप्तांक की अभिप्रमाणित प्रति (वर्ग 1 को छोड़कर)

2 आय प्रमाण पत्र सी॰ओ॰/बी0डी0ओ0 द्वारा निर्गत या स्वनियोजित माता–पिता/ अभिभावक द्वारा नन जुडिशियल स्टैम्प पेपर पर शपथ–पत्र देंगें तथा नियुक्त माता–पिता/अभिभावक अपने नियोक्ता से आय प्रमाण–पत्र प्राप्त कर संलग्न करेंगें

3 स्थायी आवास का प्रमाण पत्र सी॰ओ॰/ बी0डी0ओ0 द्वारा निर्गत।

4 अल्पसंख्यक समुदाय विशेष का सदस्य होने के संबंध में शपथ पत्र (मुसलमान को छोड़ कर) ।

5 संबधित शिक्षण संस्थान से आवेदन पर अग्रसारण अनिवार्य है।